महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–319 / एक–11–2021

प्रेषक,

रेणुका कुमार,
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊः दिनांक 23 अप्रैल, 2021

विषयः– कोविड–19 की द्वितीय लहर के दौरान जनपदों में आये हुये प्रवासियों का डाटा वेबसाइट rahat.up.nic.in पर फीड करना एवं गूगल सीट पर सूचना उपलब्ध कराना।

महोदय,

कृपया मुख्य सचिव के पत्र संख्या–698 / 2021–सीएक्स–3 दिनांक 13–04–2021 एवं राजस्व अनुभाग–11 के शासनादेश संख्या–309 / एक–11–2021–198 / 2020 दिनांक 15–04–2021 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा अस्थायी आश्रय स्थल / क्वारंटाइन / स्क्रीनिंग कैम्प की स्थापना एवं प्रवासी श्रमिकों / मजदूरों / कामगारों के डाटा फीडिंग के सम्बन्ध में समुचित निर्देश निर्गत किये गये हैं। कतिपय जनपदों में डाटा फीडिग का कार्य राहत आयुक्त की उपरोक्त वेबसाइट पर अत्यंत ही धीमी गति से किया जा रहा है।

इस सम्बन्ध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया निम्नलिखित कार्यवाही प्राथमिकता के आधार पर प्रतिदिन कराना सुनिश्चित करें।

1–गूगल सीट http://docs.google.com/spreadsheets/d/1dg8LgMo7YIgf41BJtVKwLQ87gqKUkzj 6cHPr9VhVVi0/edit?usp=sharing पर सूचनायें प्रतिदिन शाम को 08.00 बजे तक अपडेट किया जाय।

2– उक्त गूगल सीट पर भरी गयी संख्या के अनुसार प्रवासियों का विवरण अगले दिन 12.00 बजे तक प्रत्येक दशा में राहत आयुक्त की उपरोक्त वेबसाइट पर फीड कराया जाय।

3– गूगल सीट पर भरी गयी संख्या एवं वेबसाइट पर भरी गयी संख्या व विवरण एक जैसा होना चाहिये उसमें अंतर नहीं होना चाहिये।

4– सभी प्रवासियों की स्क्रीनिंग के उपरान्त क्वांरटाइन सेंन्टर्स में रखें गये प्रवासियों की इन्ट्री, मेडीकल जांच व उनके विवरण की फीडिग वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से करायी जाय।

5– राजस्व विभाग के उपरोक्त शासनादेश में स्पष्ट अंकित किया गया है कि प्रवासियों के आगमन के साथ ही उनका नाम, पिता / पति का नाम,पता, मोबाइल नं0 आदि सूचनाये अनिवार्य रूप से फीड की जायें। जिन व्यक्तियों / प्रवासियों की सूचनायें राहत आयुक्त की उक्त वेबसाइट पर फीड होगीं केवल उन्हीं के सापेक्ष राहत मद से व्यय अनुमन्य होगा।

कृपया उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये वेबसाइट एवं गूगल सीट पर प्रतिदिन डाटा समय से फीड कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया,

23/4/21

(रेणुका कुमार),
अपर मुख्य सचिव।

<u>संख्या–319(1)/एक–11–2021 तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन।
6. राहत आयुक्त, उ0प्र0।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0
8. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी उ0प्र0 राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–5, उ0प्र0 शासन।
10. राजस्व अनुभाग–10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राम केवल)

विशेष सचिव।